न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 484/2017

1. गुरभेज सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जट सिख निवासी 9 वाई तह0 व जिला श्रीगंगानगर
2. गुरतेज सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जट सिख निवासी 9 वाई तह0 व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. हरमीत सिंह पुत्र अजमेर सिंह जट सिख निवासी 9 वाई तह0 व जिला श्रीगंगानगर
2. सरजीत कोर पत्नी स्व0 अजमेर सिंह जट सिख निवासी 9 वाई तह0 व जिला श्रीगंगानगर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगगानगर (राजस्थान)

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री राजेश गुप्ता अधिवक्ता – – प्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 19.01.2018

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण चक 9 वाई मोहनपुरा तह0 श्रीगंगानगर के स्थाई निवासी तथा काश्तकार पेश है, जिनकी खातेदारी कृषि भूमि चक 9 वाई के खाता संख्या 28/20 मु.नं. 3 के किला नम्बर 1 ता 13 में अन्य भूमि के साथ स्थित है, जमाबंदी की नकल शामिल है।

प्रार्थीगण के रकबा के साथ अप्रार्थीगण का रकबा मु.नं.4 जो कि खाता संख्या 91/87 में दर्ज है, साथ लगता हुआ है आंशिक नक्शा पटवारी शामिल है, अप्रार्थीगण के रकबा मु.नं. 4 के किला नम्बर 1 के साथ नहर लगने के कारण प्रार्थीगण नहर की पटडी से होते हुए अप्रार्थीगण के मु.न. 4 के किला नम्बर 1 ता 5 में प्रचलित रास्ता से होकर अपने मु0 नं0 3 के किला नम्बर 1 मे प्रवेश करते हैं, यह रास्ता अरसा दराज से चल रहा है, फोटोग्राफ्स वास्ते मुलहायजा पेश है तथा यह रास्ता अप्रार्थीयान की सहमति से निरन्तर चलता आ रहा है तथा आज तक आपत्ति नहीं की गई है।

अप्रार्थीगण के मन में गलत लालच आ गया है तथा वह इस प्रचलित रास्ता को बंद करना चाहते है व प्रार्थीयान को रास्ता में रूकावट पैदा करना चाहते हैं, अतः रास्ता को स्वीकृत करवाना आवश्यक हो गया है, इस रास्ता को अलावा प्रार्थीगण के रकबा के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि चक 9 वाई तह0 श्रीगंगानगर के खाता संख्या 28/20 मु.नं. 3 के किला न0 1 ता 13 के लिए अप्रार्थीगण के रकबा 9 वाई के खाता संख्या 91/87 मु.नं. 4 के किला नम्बर 1 ता 5 में उत्तरी दिशा में प्रचलित 1–1 बिस्वा रास्ता को स्वीकृत करने व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए जरिए रजिस्टर्ड नोटिस मय ए.डी. तलब किया गया। दिनांक 01.12.2017 को वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाने की डाक रसीदे पेश की एवं अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

संख्या 1 को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 न्यायालय में अनुपस्थित रहा। दिनांक 08.12.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 19.12.2017 को अप्रार्थी संख्या 2 के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं स्टेट की रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी और वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली के तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

—:: आदेश ::—

बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र के तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया गया। पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रकबा 9 वाई के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 5 में एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। पूर्व में जो रास्ता रकबा 9 वाई के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 22, 23, 24, 25 में चल रहा है वह पूर्ववत चालू रहे तथा रास्ता की भूमि मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 5 के मुआवजा के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवानें के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अमल दरामद किया जावे। जमा राशि को तहसीलदार जिसकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है उसको अपनें स्तर से वितरित करेगा। तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, की प्रार्थी द्वारा मुआवजा राशी का भुगतान किये जानें पर उक्तानुसार रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व प्राप्त मुआवजा राशि का भुगतान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को करवाया जाना सुनिश्चित करेगे तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक उपयोग हेतु खुलवाया जाना सुनिश्चित करेंगें।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करे।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक **19.01.2018** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर